

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत

उप तहसीलदार मुकाम

बीकानेर

सरकार

बनाम

.....

किस्म मुकदमा एल आर एक्ट 1956 की धारा 91

प्रकरण सं. 10 सन् 2017

फसल खरीफ/रबी सम्वत् 2019

28-12-18

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत भू राजस्व अखरे रूप्ये 0.22 का पचास गुणा तावान अर्थात् रू० 111 (पूर्णांक में) मात्र मात्र अखरे रूप्ये मात्र की शास्ती लगायी जाती है। पटवारी हल्का वसूल करें एवं तहसील राजस्व लेखाकार अपने अभिलेखों में उक्त रकम की मांग कायम करें।

निर्णय खुली अदालत में सूनाया गया। बाद वसूली पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

(जयदीप मित्तल)

पीठासीन अधिकारी एवं
उप तहसीलदार बीकानेर